न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 85/2020

अनवान मुकदमा –

1. प्रिक्षित पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। –– वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. गीता देवी उर्फ गोरां देवी पत्नी बलवन्त सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. मन्जू पुत्री बलवन्त सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. योजस्वी पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. निर्मला पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा। – – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता ––– वादी
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता ––– प्रतिवादी सं. 1 ता 5

–:: निर्णय :–

दिनांक – 30/08/2021

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है । वाद पत्र दो प्रतियों मय शपथ पत्र मे समर्पित प्रस्तुत किया जा रहा है । वादी हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है । उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता वादी के पडदादा श्री गणपत व दादा श्री बलवन्त सिंह थे। सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं. 1–2 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 139 आर.डी. के खाता सं. 25 के प.नं. 9/336 के किला नं. 11 ता 25 की 3.795 हैक., प.नं. 8/336 के किला नं. 4/3, 5, 8/1 की 0.430 हैक., प.नं. 9/337 के किला नं. 1, 2/2 की 0.417 हैक. इस प्रकार कुल तादादी 4.642 हैक. नहरी अ.क. म.गै.मु. ब.हि.ब. कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है ।

प्रतिवादी सं. 2 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 23 पीबीएन के खाता सं. 40 के प.नं. 9/340 के किला नं. 1 ता 13 की 3.289 हैक. नहरी अ.क. कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है ।

30.08.2021
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे वादी के पड़दादा श्री गणपत व दादा श्री बलवन्त सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिनके देहानत के पश्चात उक्त वर्णित रकबा प्रतिवादी सं. 1-2 को विरासतन / दस्तवरदारी के प्राप्त हुआ तथा पड़दादा से गणपत से वादी के दादा श्री बलवन्त सिंह को प्राप्त भूमि तथा संयुक्त परिवार की मेहनत एवं श्रम से अर्जित प्रतिफल से दादा श्री बलवन्त सिंह ने अपने जीवनकाल मे वाद पत्र की दफा 4 मे वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम से खरीदकर राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करवाई । इस प्रकार वाद पत्र की दफा 3-4 मे प्रतिवादी सं. 1-2 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है अर्सा दराज पूर्व वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सदस्यों ने प्रश्नगत कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा करवा दिया तथा प्रतिवादी सं. 3 जो कि वादी की बुआ व प्रतिवादी सं. 4 वादी की बहन ने अपना समस्त हक हिस्सा मौखिक रूप से वादी के हक मे कर दिया तत्पश्चात वादी को वाद पत्र की दफा 4 मे प्रतिवादी सं. 2 के नाम वर्णित चक 23 पीबीएन की 3.289 हैक. कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं. 1 को वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित चक 139 आर.डी. की 4.642 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 2 के 1/2 हिस्सा समस्त कृषि भूमि प्राप्त हुई और प्रतिवादी सं. 2 स्वयं ने अन्य चक मे कृषि भूमि मे अपने जीवन यापन एवं बतौर भरण पोषण के रख ली थी ।

वादी का कब्जा वाद पत्र की दफा 4 मे वर्णित तथा प्रतिवादी सं. 1 का वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि पर घरू बंटवारा के समय से ही बिना किसी विवाद के चला आ रहा है और वर्तमान मे भी वादी ने फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम से दर्ज होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 4 मे प्रतिवादी सं. 2 के नाम वर्णित चक 23 पीबीएन की 3.289 हैक. कृषि भूमि तथा वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित चक 139 आर.डी. की 4.642 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 2 के 1/2 हिस्सा की प्रतिवादी सं. 1 घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 2 का नाम हक व हिस्सा कलमजन करवाने के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादी का मुताबिक घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की घोषणा करवा देवे तो प्रतिवादी सं. 1, 2 कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतूक है ।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादी निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :-

घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं. 2 के नाम वर्णित चक नं. 23 पीबीएन के खाता सं. 40 के प.नं. 9/340 के किला नं. 1 ता 13 की 3.289 हैक. नहरी अ.क. कृषि भूमि का वादी तथा चक नं. 139 आर.डी. के खाता सं. 25 के प.नं. 9/336 के किला नं. 11 ता 25 की 3.795 हैक., प.नं. 8/336 के किला नं. 4/3, 5, 8/1 की 0.430 हैक, प.नं. 9/337 के किला नं. 1, 2/2 की 0.417 हैक. इस प्रकार कुल तादादी 4.642 हैक. नहरी अ.क. म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 2 के 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है जिसमे से प्रतिवादी सं. 2 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे ।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 5 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है।

30.08.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। इससे न्यायालय में वाद कम होगें। उक्त पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक व हिस्सा अपने पौत्र, पुत्र, भाई, भतीजे(वादी प्रिक्षित) के हक में त्याग कर दिया है। अर्थात अपना हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी सं. 2 के नाम वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक नं. 23 पीबीएन के खाता सं. 40 के प.नं. 9/340 के किला नं. 1 ता 13 की 3.289 हैक. नहरी अ.क. कृषि भूमि का वादी को तथा चक नं. 139 आर.डी. के खाता सं. 25 के प.नं. 9/336 के किला नं. 11 ता 25 की 3.795 हैक., प.नं. 8/336 के किला नं. 4/3, 5, 8/1 की 0.430 हैक, प.नं. 9/337 के किला नं. 1, 2/2 की 0.417 हैक. इस प्रकार कुल तादादी 4.642 हैक. नहरी अ.क. म.गै.मु. में से प्रतिवादी सं. 2 के 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसमें से प्रतिवादी सं. 2 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

30.08.2021

(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवं
तहसीलदार पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस
मुकदमा संख्या :- 85/2020
अनवान मुकदमा -

1. प्रिक्षित पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. गीता देवी उर्फ गोरां देवी पत्नी बलवन्त सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. मन्जू पुत्री बलवन्त सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. योजस्वी पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. निर्मला पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।

- - प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :-

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 30/08/2022

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया, अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री बलवीर मोयल नायक, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 2 के नाम वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक नं. 23 पीबीएन के खाता सं. 40 के प.नं. 9/340 के किला नं. 1 ता 13 की 3.289 हैक. नहरी अ.क. कृषि भूमि का वादी को तथा चक नं. 139 आर.डी. के खाता सं. 25 के प.नं. 9/336 के किला नं. 11 ता 25 की 3.795 हैक., प.नं. 8/336 के किला नं. 4/3, 5, 8/1 की 0.430 हैक, प.नं. 9/337 के किला नं. 1, 2/2 की 0.417 हैक. इस प्रकार कुल तादादी 4.642 हैक. नहरी अ.क. म.गै.मु. में से प्रतिवादी सं. 2 के 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसमें से प्रतिवादी सं. 2 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/08/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.08.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा